POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 13.12.2025

1. थाना दनकौर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण-- दिनांक 12.12.2025 को वादी द्वारा थाना दनकौर पर तहरीर दी गयी कि एक माह पहले करन शर्मा पुत्र श्री विनोद शर्मा निवासी ग्राम नौरंगपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर ने अपना फर्जी नाम आर्यन पंडित बनकर व उसके मामा कैलाश शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा, निवासी ग्राम छिजारसी, थाना सैक्टर-63, नोएडा ने वादी से दोस्ती कर कुछ समय बाद किसी अनजान नम्बर से लडकी बनकर चैट करने लगे। मजबूरी बताकर पैसे की डिमाण्ड की तथा वादी से लगभग 44000 रूपये ऑनलाईन ले लिए। किन्तु लडकी से दुबारा चैट हुई तो लडकी ने बोला कि मैं तुम्हें फसवा दूंगी और जेल भिजवा दूंगी और छुटकारा पाने के लिए एक लाख रूपये की डिमाण्ड की। फिर करन शर्मा व कैलाश शर्मा ने वादी को पुलिस का डर दिखाकर और फसवाने के नाम पर वादी से दिनांक 04.12.2025 को 26,000 रू0 व दिनांक 05.12.2025 को 50,000 रु नगद ले लिये। वादी पैसे देकर देर रात्रि घर पहुंचा तो घरवालों को कुछ शक हुआ। वादी से पूछा तो वादी ने आपबीती बताई घरवालों ने जानकरी की तो पता चला कि करन शर्मा पुत्र विनोद शर्मा उपरोक्त ने अपने मामा कैलाश शर्मा उपरोक्त के साथ मिलकर घटनाक्रम को बनाया और लडकी बनकर उसे फंसाकर और कार्यवाही के नाम पर डरा धमकाकर और छुटकारा दिलाने के लिए झांसा देकर पैसे लिये हैं। करन शर्मा व कैलाश शर्मा ने वादी से बोबी नाम की आईडी पर ऑनलाईन व कैश कुल धनराशि 1,20,000 रू ले लिये हैं।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **13.12.2025** को **थाना दनकौर पुलिस** द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त करन शर्मा पुत्र विनोद शर्मा 2. कैलाश शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा को सलारपुर रोड से **गिरफ्तार** किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--

1. करन शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम औरंगपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
2. कैलाश शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा निवासी ग्राम छिजारसी थाना सैक्टर 63 गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 349/25 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

2. थाना फेस-1 पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 105 टैट्रापैक देशी शराब बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **13.12.2025** को **थाना फेस-1 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त शिवा गुप्ता पुत्र स्व0 प्रमोद गुप्ता को हरौला सेक्टर-5 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध 105 टैट्रा पैक देशी शराब बरामद की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

शिवा गुप्ता पुत्र स्व0 प्रमोद गुप्ता निवासी ग्राम शहजापुर, थाना बस्ती नगर, बस्ती वर्तमान पता जे0जे0 कॉलोनी, सेक्टर-8, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर, उम्र 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 429/2025 धारा 60 आबकारी एक्ट, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 528/2025 धारा 60 आबकारी एक्ट, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

105 टैट्रा पैक दोस्ताना देशी शराब (सुवासित)